कायालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक : 61 / 09 दिनांक : 20/7/ 2021.

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मनीष संगल पुत्र श्री अशोक संगल, मकान नं0–1, दर्शनी गेट, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से आवेदक अपनी निजी भूमि 10 ए वन विहार, बल्लूपुर में भवन निर्माण कराना चाहते है, जिसमें 01 वृक्ष भवन के मुख्य गेट के निर्माण कार्य व आने जाने में बाधक हो रहा है। आवेदक द्वारा भवन निर्माण कार्य में 01 बाधक वृक्ष के पातन हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त पत्र के क्रम में वन क्षेत्राधिकारी मालसी द्वारा स्थलीय जांच की गई उनकी जांच रिपोर्ट पत्र सं0–1450/9, दिनांक 13.04.2021 के अनुसार निम्न प्रकार वृक्षों के पातन हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	वृक्षों की प्रजाति	आवाक्ष ऊँचाई में (व्यास वर्ग)	संख्या	अभ्युक्ति
1	छैतून हरा खंडा	40–50	01	उक्त वृक्ष आवेदक की निजी भूमि 10 ए वन विहार, बल्लूपुर में प्लॉट के सामने रोड के सामने सडक किनारे अवस्थित है। वृक्ष आवेदक के प्रवेशद्वार/गेट निर्माण कार्य में बाधक है।
कुल योग			01	

उपरोक्त वृक्षों के पातन करने में किसी व्यक्ति/संस्था को वृक्षों के पातन करने में कोई आपत्ति हो, तो इस कार्यालय द्वारा पत्र जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत लिखित रूप से कारण सहित आपत्ति पत्र प्रेषित करने का क्रष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर इस कार्यालय से पातन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति/संस्था वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण करना चाहते हैं, तो वे कृपया वन क्षेत्राधिकारी, मालसी के मोबाईल सं0–9412380207 पर सम्पर्क कर उनके साथ अथवा स्थानीय स्टॉफ के साथ स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 61 (1)/ 09. तददिनांकित।

प्रतिलिपि :

1. उप वन संरक्षक, आई0टी0सैल, वन विभाग उत्तराखण्ड, राजपुर रोड, देहरादून को उक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि इस संबंध में सूचना सार्वजनिक तौर पर प्रचार–प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सार्वजनिक स्थल पर पातन हेतु उक्तानुसार प्रस्तावित वृक्षों के सम्बन्ध में आम–जनमानस से किन्हीं आपत्तियों से प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत तद्सम्बन्धित सूचना आवश्यक रूप से सार्वजनिक पट्ट पर चस्पा कर सूचना प्रस्तावित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।